सं. ए.12018/04/2020-एसटी-I
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
[प्रापण- I (EPW) अनुभाग]

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 24 मार्च, 2021

विषय: प्रवर श्रेणी लिपिक पद के लिए भर्ती नियमों (RRs) में संशोधन पर सार्वजनिक सूचना - टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु

DoPT के का.ज्ञा. सं. AB.14017/61/2008-Estt.(RR) दिनांक 24.03.2009 के अनुपालन में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ चिकित्सा भण्डार संगठन के अधीन गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो में प्रवर श्रेणी लिपिक पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा, अधिसूचना आदि संलग्न है।

2. इच्छुक पणधारक मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती नियमों के मसौदे पर अपने आपत्ति / टिप्पणी या सुझाव अपलोड होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित में अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय कल्याण, कमरा सं. 331-सी, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली - 110011 को डाक द्वारा अथवा उनके ई-मेल पता cs.bahuguna63@nic.in पर अग्रेषित कर सकते हैं ।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(सी. एस. बहुगुणा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. : 23061875

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (1) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2021

सा.का.नि. . . .- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और करनाल में स्थित सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो में प्रवर श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021,सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो,जोकि नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और करनाल में स्थित, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ चिकित्सा भण्डार संगठन के अधीनहै ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना-**ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

<u>अनुसूची</u>

1.	पद का नाम	प्रवर श्रेणी लिपिक
2.	पद की संख्या	*176 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)
3.	वर्गीकरण	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
4.	वेतन स्तर	वेतन स्तर – 4 (25,500-81,100 रुपए)
5.	चयन पद याअचयन पद	अचयन
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं होता।
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं होता।
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं होता।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	लागू नहीं होता।
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्तीद्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्नपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	(क) 50% अवर श्रेणी लिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) 50% चिकित्सा भंडार संगठन में ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा डिपो-वार आधार पर, जिन्होंने उस श्रेणी में 5(पाँच) वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ग) उपर्युक्त पद्धतियों में से किसी एक अथवा दोनों से न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	**प्रोन्नति:** अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:- i. जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या ii. जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिकया समकक्ष श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

		इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 'छप्पन वर्ष से अधिक नहीं' होगी । टिप्पण: प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 (वह तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है)से पहलेनियमित आधार पर की गई सेवा कोवेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी,सिवाय उस दशा में जहाँ एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां वह लाभ केवल उस पद या पदों पर विस्तारित होगा, जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापना ग्रेड है।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समितिहै, तो उसकी संरचना	समूह 'ग'विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : (1) उप सहायक महानिदेशक(चिकित्सा भण्डार) -अध्यक्ष (2) डिपो प्रबंधक -सदस्य (3) सहायक डिपो प्रबंधक/लेखा अधिकारी -सदस्य (4) स्टेशन पर स्थित केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय का कोई बाहरी अधिकारी -सदस्य। टिप्पण : उप सहायक महानिदेशक (चिकित्सा भण्डार) की अनुपस्थिति में विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता डिपो प्रबंधक द्वारा की जाएगी और ऐसे मामले में कार्यवाही को अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास भेजा जाएगा।
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

(फाइल सं. ए.12018/04/2020-एसटी.।)

(सी.एस. बहुगुणा)
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुबंध-।।।

सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो (जीएमएसडी) में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन

1.	(क) पद का नाम :	प्रवर श्रेणी लिपिक
	(ख) मंत्रालय/विभाग का नाम :	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
2.	संदर्भ संख्या जिसके तहत भर्ती नियमों पर आयोग की सलाह से अवगत कराया गया था:	शून्य
3.	मूल नियम एवं उसके उपरांत हुए संशोधनों के अधिसूचित होने की तिथि (मूल नियम एवं उसके उपरांत हुए संशोधनों की प्रतियां, विधिवत रूप से पताका और संदर्भ के साथ संलग्न करें)	1983

क्रम सं.	अनुसूची का स्तंभ	स्वीकृत/विद्यमान नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन का कारण
1.	पद का नाम	प्रवर श्रेणी लिपिक	प्रवर श्रेणी लिपिक	कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।
2.	पद की संख्या	*219 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	*176(2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार पदों की समाप्ति/समाप्त मान लिए जाने के कारण पदों को कम कर दिया गया है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो में समूह 'ग' कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगाए जाने के कारण भी।
3.	वर्गीकरण	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।
4.	वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	330-10-380-ई.बी.-12-500-ई.-बी.-560 रुपए	वेतन स्तर -4 (25,500-81,100 रुपए)	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार।
5.	चयन पद याअचयन पद	अचयन	अचयन	कोई परिवर्तन नहीं।
6.	सीधी भर्ती किएजाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।
7	सीधी भर्ती किए जाने वाले	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

	व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	दो वर्ष	लागू नहीं होता।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा.संख्या एबी. 14017/13/2013-स्था.(आरआर) और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2010 के का.ज्ञा. सं एबी.14017/48/2010-स्था.(आरआर) के पैरा 3.10.2 के अनुसार।
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्तीद्वारा या प्रोन्नतिद्वाराया प्रतिनियुक्तिपर स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्नपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	(क) 75% अवर श्रेणी लिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) 25% चिकित्सा भंडार संगठन में ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा डिपो-वार आधार पर, जिन्होंने उस श्रेणी में 5(पाँच) वर्ष की नियमित सेवा की हो।	(क) 50% अवर श्रेणी लिपिकों में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ख) 50% चिकित्सा भंडार संगठन में ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा डिपो-वार आधार पर, जिन्होंने उस श्रेणी में 5(पाँच) वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ग) उपर्युक्त पद्धतियों में से किसी एक अथवा दोनों से न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	पोषक श्रेणी मे अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को बेहतर संभावनाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु और संवर्ग केमनोबल और दक्षता को बनाए रखने के लिए।
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में	अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	**प्रोन्नति:** अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.12.2010 के का.ज्ञा.सं. एबी.

	वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:- i. जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या ii. जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 'छप्पन वर्ष से अधिक	14017/32/2009-स्था.(आरआर)के अनुसार।

			नहीं' होगी। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 (वह तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है)से पहले नियमित आधार पर की गई सेवा कोवेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय उस दशा में जहाँ एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां वह लाभ केवल उस पद या पदों पर विस्तारित होगा, जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापना ग्रेड है।	
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समितिहै तो उसकी संरचना	समूह 'ग'विभागीय प्रोन्नति समिति(डीपीसी)पुष्टि पर विचार करने के लिए, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : (1) उप सहायक महानिदेशक(चिकित्सा भण्डार) - अध्यक्ष (2) डिपो प्रबंधक – सदस्य (3) सहायक डिपो	समूह 'ग'विभागीय प्रोन्नति समिति(डीपीसी) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : (1) उप सहायक महानिदेशक(चिकित्सा भण्डार) - अध्यक्ष (2) डिपो प्रबंधक – सदस्य (3) सहायक डिपो प्रबंधक/लेखा अधिकारी - सदस्य (4) स्टेशन पर स्थित	कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

		प्रबंधक/लेखा अधिकारी - सदस्य (4) स्टेशन पर स्थित केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय का कोई बाहरी अधिकारी – सदस्य। टिप्पण : उप सहायक महानिदेशक (चिकित्सा भण्डार) की अनुपस्थिति में डीपीसी की अध्यक्षताडिपो प्रबंधक द्वारा की जाएगी और ऐसे मामले में कार्यवाही को अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास भेजा जाएगा।	केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय का कोई बाहरी अधिकारी – सदस्य। टिप्पण : उप सहायक महानिदेशक (चिकित्सा भण्डार) की अनुपस्थिति में डीपीसी की अध्यक्षता डिपो प्रबंधक द्वारा की जाएगी और ऐसे मामले में कार्यवाही को अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास भेजा जाएगा।	
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है ।